उन्होने यह अंकित किया है कि उनके हस्ताक्षर खाली कागज पर कराये गये। इस प्रकार से प्रर्वतन निरीक्षक की जॉच रिपोर्ट व फर्द मौका कतई गलत है। आदेश अन्तर्गत अपील में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कुल 13 बिन्दु अंकित किये गये है जिनमें अपीलार्थी द्वारा उचित मूल्य दुकान के राशन वितरण बावत अनियमितता होना अंकित किया गया है जबकि ऐसे आधारों में अंकित कोई भी अनियमितता अपीलार्थी द्वारा नहीं की गई है। आदेश अन्तर्गत अपील में रामबाबू पुत्र चिरौंजी लाल जो स्वंय राशन डीलर (अपीलार्थी) है के नाम से दो राशन कार्ड जारी होना पाया है जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपीलार्थी का मूल राशनकार्ड संख्या 007536800004 है और उसके तहत ही नियमानुसार राशन प्राप्त किया गया है, वैसे भी यह उल्लेखनीय है कि राशन कार्ड जारी करता विभाग स्वंय रैस्पोडेन्ट है और रस्पोडेन्ट राशन कार्ड पटवारी आदि की रिपोर्ट के उपरान्त एस.डी.एम. की अनुशंषा पर जारी किये जाते है। यह भी उल्लेखनीय है कि आदेश अन्तर्गत अपील में अंकित विभिन्न राशनकार्ड होल्डर के द्वारा यदि कोई अनियमितता किया जाना पाया गया है तो कानूनन रेस्पोडेन्ट को उनके विरूद्व कार्यवाही करनी चाहिऐ थी जो कि नहीं की गई। यहॉ यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि यदि दो राशन कार्ड बने हुये है तो ऐसे राशनकार्ड निरस्त नहीं करवाये गये बल्कि रसद अधिकारी की मिली भगत से ऐसे दूसरे बने राशनकार्ड को ना तो निरस्त किया गया एवं ना ही अपीलान्ट को किसी प्रकार की कोई सूचना दी गयी। क्लॉज 11 लगायत 16 राजस्थान खाध पदार्थ एवं आवश्यक वस्तु के वितरण का विनियमन आदेश 1976 के आदेश के तहत उपभोक्ता जिन्होने राशनकार्ड का दुरूपयोग किया है वे स्वंय दोषी है लेकिन उनके विरूद्व कार्यवाही नहीं करने के बजाय रेस्पोडेन्ट के द्वारा अपीलान्ट के विरूद्व कार्यवाही की गयी है जो निरस्त किये जाने योग्य है। आदेश अन्तर्गत अपील की मद संख्या 07 में गुडडी पत्नी नरेश के नाम से राशन कार्ड जारी होना अंकित किया है जबकि राशन कार्ड गुडडी के नाम न होकर उसके पति के नाम से है इसी प्रकार से रामपति के नाम से राशन कार्ड न होकर उसके पति विरेन्द्र के नाम से बना हुआ है और इसी प्रकार अंगूरी के नाम से राशन कार्ड न होकर उसके पति होतम के नाम से है, इस प्रकार से आदेश अन्तर्गत अपील में उक्त लोगो के नाम राशन कार्ड जारी होना गलत अंकित किया गया है और इन गलत तथ्यों के आधार पर आदेश अन्तर्गत अपील पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने अहम तथ्यात्मक एवं कानूनी भूल की है। आदेश अन्तर्गत अपील में अपीलार्थी द्वारा एक यह भी अनियमितता करना बताया गया है कि दुकान पर इलेक्ट्रॉनिक कांटे की जांच करने पर स्टेण्डर्ड 0.5 किलोग्राम का वजन 110 ग्राम पाया गया है। इस सम्बध में अपीलार्थी की ओर से यह कथन है कि वक्त जांच कांटे के ऊपर धूल जमा होने से 110 ग्राम वजन ज्यादा आ गया था जबकि धूल साफ करने के बाद वजन किया गया तो 0.5 किलो ग्राम वजन था। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर के आदेश दिनांक 30.9.2021 एसबी सिविल रिट पिटीशन नम्बर 114/2021 के तहत यह आदेश पारित किया गया है कि आदेश दिनांक 30.9.2021 से 15 दिन के भीतर अपीलार्थी मय धारा 05 म्याद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकेगा और माननीय न्यायालय उक्त अपील में हुई देरी को कन्सीडर करेगें। धारा 05 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पृथक से प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार से यह अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 08.12.2020(04/12/2020) अपास्त किया जावे ।

अपीलान्ट ने अपनी अपील के समर्थन में प्रमाणित प्रति निर्णय दिनांक 08.12.2020(04/12/2020) फोटो प्रति आदेश दि0 30.9.2021 माननीय उच्च न्यायालय पेश की है।

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी कर तलब किया गया कि उन्हें इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो असालतन व वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर अपील की पत्रावली के साथ संलग्न की गई।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को पूर्ण सुनवाई का कोई मौका नहीं दिया गया। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नोटिस का जबाव का अपीलाधीन आदेश में कोई विवेचन नहीं किया गया। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा अपनी जॉच रिपोर्ट दिनांक 15.10.2020 के तहत कुल 11 किता गवाहान के बयान लिये गये है। वास्तविकता यह है कि ऐसे सभी 11 गवाहान के जो बयान अंकित किये गये है, उन पर खाली कागजों पर गवाहान के हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा कराये गये है जिन पर बाद में अपनी मनमर्जी से बयान लिख लिये गये है। इस सबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि ऐसे गवाहों द्वारा अपने हलफिया शपथपत्र भी दिये गये है जिसमें उन्होने यह अंकित किया है कि उनके हस्ताक्षर खाली कागज पर कराये गये। इस प्रकार से प्रर्वतन निरीक्षक की जॉच रिपोर्ट व फर्द मौका कतई गलत है। आदेश अन्तर्गत अपील में अंकित विभिन्न राशनकार्ड होल्डर के द्वारा यदि कोई अनियमितता किया जाना पाया गया है तो कानूनन रेस्पोडेन्ट को उनके विरूद्व कार्यवाही करनी चाहिऐ थी जो कि नहीं की गई। यहॉ यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि यदि दो राशन कार्ड बने हुये है तो ऐसे राशनकार्ड निरस्त नहीं करवाये गये बल्कि रसद अधिकारी ने ऐसे दूसरे बने राशनकार्ड को ना तो निरस्त किया गया एवं ना ही अपीलान्ट को किसी प्रकार की कोई सूचना दी गयी। क्लॉज 11 लगायत 16 राजस्थान खाध पदार्थ एवं आवश्यक वस्तु के वितरण का विनियमन आदेश 1976 के आदेश के तहत उपभोक्ता जिन्होने राशनकार्ड का दुरूपयोग किया है वे स्वंय दोषी है लेकिन उनके विरूद्व कार्यवाही नहीं करने के बजाय रेस्पोडेन्ट के द्वारा अपीलान्ट के विरूद्व कार्यवाही की गयी है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 08.12.2020(04.12.2020) निरस्त किया जावे ।

रेस्पोडेण्ट के विद्वान सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि अपीलान्ट के विरूद्व शिकायत की जॉच प्रवर्तन निरीक्षक जॉच दल द्वारा मौके पर जाकर की गई है उनके द्वारा प्रस्तुत जॉच रिपोर्ट में अपीलान्ट द्वारा कई अनियमितताऐं की गई। डवल राशनकार्ड जिनका दुरूपयोग अपीलान्ट द्वारा किया गया है एवं फर्जी राशनकार्डो का दुरूपयोग भी अपीलान्ट द्वारा किया गया है। प्रवर्तन निरीक्षक की जॉच रिपोर्ट से स्पष्ट है कि अपीलान्ट समय पर राशन वितरण नहीं करता है। रेस्पोडेण्ट द्वारा जारी आदेश दिनांक 08.12.2020 सही है इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 08.12.2020 यथावत रखा जावे ।

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन कर मनन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रवर्तन निरीक्षक जॉच दल द्वारा जॉच रिपोर्ट दिनांक 15.10.2020 प्रस्तुत की गई है जिसमें अंतिम पैरा में यह अंकित किया गया है कि " उपरोक्त राशनकार्डो में दर्ज फर्जी यूनिटों एवं डुप्लीकेट राशनकार्डो की जांच विकास अधिकारी पंचायत समिति बसेडी से करवाया जाना उचित होगा उपरोक्त राशन कार्डो से फर्जी यूनिटों को हटाकर व डुप्लीकेट राशनकार्डो को डिलीट कर अग्रिम कार्यवाही करने हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत है" परन्तु विकास अधिकारी पंचायत समिति बसेडी की ऐसी कोई जॉच रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अपीलान्ट का कथन है कि प्रवर्तन निरीक्षक जॉच दल द्वारा अपनी जॉच रिपोर्ट दिनांक 15.10.2020 के तहत कुल 11 किता गवाहान के बयान लिये गये है। ऐसे सभी 11 गवाहान के जो बयान अंकित किये गये है, उन पर खाली कागजों पर गवाहान के हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा कराये गये है जिन पर बाद में अपनी मनमर्जी से बयान लिख लिये गये है। इस सबंध में ऐसे गवाहों द्वारा अपने हलफिया शपथपत्र अपील के साथ प्रस्तुत किये है जिसमें उन्होने यह अंकित किया है कि उनके हस्ताक्षर खाली कागज पर कराये गये। अपीलान्ट का यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को पूर्ण सुनवाई का मौका नहीं दिया गया। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नोटिस का जबाव का अपीलाधीन आदेश में कोई विवेचन नहीं किया गया।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना एवं पत्रावली पुनः सुनवाई कर निर्णय पारित किये जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रति प्रेंषित किया जाता उचित समझते हैं ।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.12.2020(04.12.2020) अपास्त किया जाता है। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित की जाती है कि अपीलान्ट को विधिवत सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें । निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली वापिस भिजवाई जावे । पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। नम्बर से कम की जावे ।

निर्णय आज दिनांक 05.04.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(आर0 के0 जायसवाल)
(अति0 कलक्टर, धौलपुर)
जिला कलक्टर, धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर, धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– आर.के.जायसवाल आई.ए.एस., जिला कलक्टर धौलपुर

अपील (प्रकरण) संख्या :– 96/2021 RCMS No.2021/204

उनवानी प्रकरण :–

रामबाबू पुत्र चिरौंजीलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम बागथर तहसील वसेडी उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत बागथर 1/3 भाग तहसील वसेडी जिला धौलपुर ––– अपीलान्ट।

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी धौलपुर ————— रेस्पोडेन्ट।

अपील अन्तर्गत क्लॉज 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनियमन) आदेश 1976 विरूद आदेश जिला रसद अधिकारी धौलपुर दिनांक 08.12.2020 (04/12/2020

उपस्थिति :–

अपीलान्ट की ओर से :– श्री अमित वघेला अभिभाषक।
रेस्पोडेण्ट की ओर से :– दिव्या कमठान सहा0 लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी

निर्णय दिनांक 05.04.2022

अपीलान्ट द्वारा यह अपील जिला रसद अधिकारी धौलपुर के निर्णय दिनांक 08.12.2020(04/12/2020) से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत की है, जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि:– अपीलान्ट ग्राम पंचायत बागथर तहसील वसेडी के 1/3 भाग का उचित मूल्य दुकानदार है। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा जो जॉच रिपोर्ट अपीलार्थी उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत बागथर बावत दिनांक 15.10.2020 तैयार की गई है वह बिना किसी ठोस आधार के मनमानीपूर्ण तरीके से तैयार की गई है। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा अपनी जॉच रिपोर्ट दिनांक 15.10.2020 के बाद तैयार की गई है जो कानूनन उचित व न्याय संगत नहीं है और इस फर्द मौका पर जिन लोगों के हस्ताक्षर कराये है उनके कोई भी बयानात दर्ज नहीं किये गये है एवं ना ही शामिल जॉच किये गये इसके अतिरिक्त प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा अपनी जॉच रिपोर्ट दिनांक 15.10.2020 के तहत कुल 11 किता गवाहान के बयान लिये गये है। वास्तविकता यह है कि ऐसे सभी 11 गवाहान के जो बयान अंकित किये गये है, उन पर खाली कागजों पर गवाहान के हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा कराये गये है जिन पर बाद में अपनी मनमर्जी से बयान लिख लिये गये है। इस सबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि ऐसे गवाहों द्वारा अपने हलफिया शपथपत्र भी दिये गये है जिसमें

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर